न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 01/2024

पंचायत समिति पीसांगन जरिये ग्राम विकास अधिकारी, जिला अजमेर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती मदीना बानो पत्नी श्री मुराद अली निवासी ग्राम अलीपुरा ग्राम पंचायत अलीपुरा, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर।

.....गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 श्रीमती मदीना बानो के पक्ष में ग्राम पंचायत अलीपुरा जारी पट्टा सं 13 बुक संख्या 537 दिनांक 08.11.2021 को निरस्त करने बाबत

उपस्थित :–

1– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकर्ता की ओर से।

2– श्री शफीर्कुरहमान, वकील अप्रार्थी की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक :– 01.04.2026

. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह निगरानी, ग्राम पंचायत अलीपुरा पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा श्रीमती मदीना बानो पत्नी श्री मुराद अली के पक्ष में जारी पट्टा सं 13 बुक संख्या 537 दिनांक 08.11.2021 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्राप्त होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये जाकर आक्षेपित पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अलीपुरा का रिकॉर्ड मगंवाया गया तपश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया कि अप्रार्थिया श्रीमती मदीना बानो द्वारा प्रशासन गाँवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत अलीपुरा के समक्ष ग्राम अलीपुरा स्थित उसके पूर्वजों के कब्जेशुदा जर्जर मकान के एक हिस्से का पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त ग्राम पंचायत पीसांगन द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत श्रीमती मदीना बानो के पक्ष मे पट्टा सं 13 बुक संख्या 537 दिनांक 08.11.2021

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

जारी किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थिया द्वारा पुनः ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त पट्टा के नियमतीकरण हेतु आवेदन करने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अलीपुरा की बैठक दिनांक 21.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 03 की पालना में दिनांक 18.01.2023 को पुनः विधि मान्य कर दिया गया।

उन्होने यह भी कथन किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में भूखण्ड के पट्टे को नियमानुसार जारी व सद्भावनापूर्वक जारी करने के लम्बे अन्तराल पश्चात उसके सटाकर ही उनके परिवार के अन्य सदस्य द्वास उक्त पट्टे में वर्णित सीमांकन को देखकर ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जिसकी जाँच उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि दोनों पक्षों के मध्य स्थित उक्त भूखण्ड के पट्टे में सीमाओं का अंकन त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है जिसे सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थिया व उसके परिवार के सदस्यो को भी इस बाबत किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उन्होने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थिया वर्तमान में उक्त जारीशुदा पट्टे के भूखण्ड पर निवास नहीं कर रही है तथा ग्राम में ही अन्यत्र स्थित अपने आवास मे निवास कर रही है, जिस कारण उक्त जारी पट्टे का स्पष्ट सीमांकन नहीं हो सका।

उन्होने निवेदन किया कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में जारी पट्टा सं 13 बुक सं 537 दिनांक 08.11.2021 को निरस्त कर पुनः नवीन तरीके से सीमाओं का स्पष्ट अंकन कर नवीन पट्टा जारी करने के निर्देश दिये जावे जिससे कि अप्रार्थिया तथा आपत्तिकर्ता उसके पड़ौसी रिश्तेदार के मध्य किसी प्रकार का भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

वकील अप्रार्थी ने अपने लिखित प्रत्युत्तर तथा बहस में निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती मदीना बानो के पक्ष में जारी पट्टे में सीमांकन का गलत अंकन होने के कारण सुधार करने के उद्देश्य से उक्त पट्टा को निरस्त कर संशोधित/नवीन पट्टा जारी करना चाहता है, जिसमें अप्रार्थी पूर्णतया सहमत है तथा यदि उक्त पट्टे में अंकित त्रुटि को सुधार कर अप्रार्थिया के पक्ष में पुनः संशोधित/नवीन पट्टा जारी किया जाता है तो अप्रार्थिया को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली, एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत अलीपुरा द्वारा अप्रार्थिया श्रीमती मदीना बानो के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 13 बुक सं 537 दिनांक 08.11.2021, ग्राम अलीपुरा के खसरा नम्बर 233 में स्थित भूखण्ड से सम्बन्धित है जिसका क्षेत्रफल 81.5 वर्गगज है तथा इस भूखण्ड की उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण में श्री रमजान खान का मकान तथा पूर्व व पश्चिम में श्री मुराद अली पुत्र श्री नैनू अली के मकान का हिस्सा है। निगरानीकार ने अवगत कराया है कि उक्त पट्टा में सीमाओं का अंकन त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण यह पट्टा निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यद्यपि निगरानीकार या वकील अप्रार्थिया ने यह स्पष्ट नही किया है कि उक्त पट्टे का सही या संशोधित सीमांकन क्या है, तथापि दोनो पक्ष, उक्त आक्षेपित पट्टे को निरस्त कर अप्रार्थिया के पक्ष में संशोधित/नवीन पट्टा जारी किये जाने हेतु सहमत है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी याचिका को स्वीका किया जाकर, ग्राम पंचायत अलीपुरा पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा श्रीमती मदीना बानो पत्नी श्री मुराद अली के पक्ष में जारी पट्टा सं 13 बुक सं 537 दिनांक 08.11.2021 (ग्राम अलीपुरा के खसरा सं 233 में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 81.5 वर्गगज) को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत को

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

निर्देशित किया जाता है कि आपतिकर्ता द्वारा व्यक्त की गयी तथा जाँच में सही पायी गयी सीमाओं के अनुसार सीमाओं का सही व स्पष्ट अंकन करते हुए आदेश जारी होने की दिनांक से 02 माह की अवधि में श्रीमती मदीना बानो पत्नी श्री मुराद अली के पक्ष में संशोधित/नवीन पट्टा जारी करने हेतु नियमानुसार एवं विधिपूर्ण कार्यवाही की जाकर, पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे।

आदेश आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया। आदेश की एक प्रति पालना हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर तथा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अलीपुरा पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर को भी भिजवायी जावे।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर अजमेर